नं..201

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व वादपत्र संख्या 02/2014

श्री अभयसिंह पुत्र निर्भयसिंह जाति रावत निवासी देवपुरा (खरवा) तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।

———वादी

ब ना म

1– श्री बलवन्तसिंह पुत्र मनोहरसिंह
2– श्री हिम्मतसिंह पुत्र मनोहरसिंह
3– श्रीमती यशोदा पुत्री मनोहरसिंह
4– श्रीमती कविता पुत्री मनोहरसिंह
5– श्रीमती मीरा पत्नि मनोहरसिंह
जाति रावत निवासी देवपुरा (खरवा) तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0
6– राजस्थान सरकार जरिए भू–धारक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब मसूदा राज0

———प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाब्ता दीवानी जो
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 11.09.2019

संक्षिप्तः प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि प्रस्तुत वाद वास्ते विभाजन का माननीय न्यायालय में पेश किया है। माननीय न्यायालय वादी द्वारा अपने वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष प्रदत्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, अतएव मौजुदा वाद चलने योग्य नहीं है। कोई भी सहखातेदार अपनी सम्पूर्ण जोत का विभाजन एक साथ करवा सकता है किन्तु कानूनन आंशिक विभाजन नहीं करवाया जा सकता है व ना ही किया जाना संभव ही है अतएव मौजुदा वाद में तो वादी ने जानबुझकर वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 4874/4 का ही विभाजन करवाने का वाद पेश किया है, व साथ ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की आराजियात इसी खाते में और मौजुद है एवं कानूनन मौजुदा वाद बॉड बाय लॉ होने से चलने योग्य नहीं है। वादी ने जानबुझकर वादग्रस्त आराजीयात के अन्य सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा ही नहीं बनाया व बिना उनकी उपस्थिति के मौजुदा वाद का विभाजन कानूनन संभव नहीं है अतएव मौजुदा वाद का विभाजन कानूनन संभव नहीं है अतएव मौजुदा वाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी द्धारा कोई जवाब पेश ना कर मौखिक विरोध किया।

प्रकरण में बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारीज करने का निवेदन किया। वादी वकील ने कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को वादी जवाबदावे में ऐतराज उठा सकता है, और दोनो पक्षो की साक्ष्य आने के बाद ही तय किया जा सकता है, अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

................लगातार

मेरे द्वारा पत्रावली आ अद्धोपांत अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि वादी द्वारा केवलमात्र वादग्रस्त भूमि के विषय में ही विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। जिसके संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 83 में विवादित भूमि खसरा नंबर 4874/2 एंव अन्य खसरान भी अंकित होना पाया गया है, उसमें भी वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से दर्ज होना पाया जाता है, जबकि वादी ने केवलमात्र एक ही खसरे के बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है, कि यदि किसी व्यक्ति की जमीन अन्य भी है तो वह अपनी समस्त आराजियात का विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। किन्तु यहां पर वादी ने केवलमात्र एक ही खसरे का विभाजन का दावा पेश किया गया है, स्वंय वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में अन्य खसरान भी अंकित होना पाया गया। प्रतिवादी द्वारा यह आपत्ति भी उठाई गई है, कि विभाजन के दावे में समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, इसके संबंध में भी जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में वादी व प्रतिवादीगण के अलावा अन्य सहखातेदारान का भी विवादित भूमि में हिस्सा अंकित होना पाया गया है, जबकि विभाजन के दावे में समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध खारीज किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 11:07:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: